

Computer

(वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-1, सि.क्षे.वि. श्रीविजयनगर

क्रमांक :- प.लेखा- /निविदा/

दिनांक :-

ई-निविदा सूचना संख्या : 04 / 2020-21

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिशाषी अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-1 सि.क्षे.वि. श्रीविजयनगर द्वारा निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में नियमानुसार (समय-समय पर संशोधित) प्रभावी आदेशों के तहत पंजीकृत फर्मों/संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई- प्रोक्यूरमेंट (ई-टेंडरिंग) प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रु. लाखों में)	धरोहर राशि रूपयों में		ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क रु. में	निविदा शुल्क रु. में	कार्य पूर्ण करने की अवधि (अधिकतम)
			1.00%	1/2%			
1	2	3	4	5	6	7	8
फार्मे खालों का निर्माण कार्य विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार ( समस्त सामग्री ठेकेदार की होगी)							
1	CHAK 17 RB	62.50	62500	31250	1000/-	1000/-	5 माह
2	CHAK 21 RB	67.09	67090	33550	1000/-	1000/-	5 माह
3	CHAK 57 RB	54.89	54890	27450	1000/-	1000/-	5 माह
4	CHAK 59 RB	51.58	51580	25790	1000/-	1000/-	5 माह
5	CHAK 60 RB	43.63	43630	21820	500/-	1000/-	5 माह
6	CHAK 63 RB-B	30.14	30140	15070	500/-	1000/-	5 माह
7	CHAK 65 RB	60.90	60900	30450	1000/-	1000/-	5 माह
8	CHAK 7 PS	63.06	63060	31530	1000/-	1000/-	5 माह
9	CHAK 8 PS	46.65	46650	23330	500/-	1000/-	5 माह
10	CHAK 10 PS	58.43	58430	29220	1000/-	1000/-	5 माह
11	CHAK 20 PS	81.03	81030	40520	1000/-	1000/-	5 माह
12	CHAK 7 MK	44.42	44420	22210	500/-	1000/-	5 माह

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ। यह निविदा वेबसाइट <http://www.dipronline.org> एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आपेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 13.10.2020 सांय: 6:00 बजे से 22.10.2020 सांय 6:00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 22.10.2020 सांय 6:00 बजे तक जमा /अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 23.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेंगी।  
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।  
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।  
(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 या 5 में दर्शायी गई धरोहर राशि, कॉलम 6 में दर्शायी गई ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि एवं कॉलम 7 में दर्शायी गई निविदा शुल्क राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद एक ही चालान से ऑनलाईन जमा



करवाना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि (आर.आई.एस.एल फीस) एवं निविदा शुल्क राशि रिफ़न्ड योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars. of Items	Budget Head	Amount in Rs.	Treasury Ganganagar	
			DDO Code	Division code
Bid Security	8443-00-108-00-00	As per above table column 4 or 5	3950	3950
Bid Document Fees	0075-00-800-52-01	As per above table column no. 7	3950	3950
RISL Processing Fees	8658-00-102-(16)-[02]	As per above table column no. 6	3950	3950

4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 13.10.2020 साय: 06:00 बजे से 22.10.2020 सायं 6.00 बजे तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि ई-ग्रास द्वारा दिनांक 22.10.2020 को सायं 6.00 बजे से पूर्व नियमानुसार ऑनलाईन अधिशाषी अभियन्ता गगनहर ओ.एफ.डी खण्ड-1 सि.क्षे.वि. श्रीविजयनगर के पक्ष में जमा/मेल eegnp1.bkn.cad@rajasthan.gov.in भेजा जाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
11. आर.पी.डब्ल्यू ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज सामान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित हैं को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि के तिथि के 6 मास पश्चात तक जो भी पश्चातवर्ती हो तक रहेगा।
15. मोर्टार एवं कंक्रीट मिक्सींग हेतु पावर मिक्सर का उपयोग अनिवार्य है।
16. नाका शटर एवं फ्रेम यदि विभाग के पास उपलब्ध होने पर उनका उपयोग अनिवार्य होगा। विभाग के पास उपलब्ध होने पर संवेदक को भुगतान नहीं होगा।
17. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 50.00 लाख तक 500/- रुपये व 50.00 लाख से अधिक 1000/- रु. की राशि प्रक्रिया शुल्क के रूप में देय होंगी। इस राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद एक ही बालान से ऑनलाईन जमा करवानी आवश्यक होगी।
19. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश  
(अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इंटरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को इंटरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेकनोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।

(द) ऑनलाइन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।

(य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है।

(र) कोई भी टेंडर इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(ल) टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियाँ क्रो सम्पूर्ण रूप से भ्रूकर ऑनलाईन दर्ज करें।

20. संविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।

21. शर्तयुक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 मय समस्त नियम लागू होगा।

23. फर्म द्वारा टेंडर अपलोड करने के बाद यदि सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाता है तो भी एम डी आर आई एस एल जयपुर की निर्धारित फीस रु. 500/- अथवा रु. 1000/- ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(विष्णु विनोद अग्निहोत्री)

अधिशायी अभियन्ता,

गंगानहर ओ.एफ.डी. खण्ड-1

सि.क्षे.वि., श्रीविजयनगर

दिनांक :- 13/10/2022

क्रमांक :- प.लेखा- /निविदा/ 501

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित/प्रस्तुत है।

1 आयुक्त, क्षेत्रीय विकास इंगानप., बीकानेर।

2 मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सीएडी बीकानेर।

3 अभियन्ता, सि.क्षे.वि., ओ.एफ.डी., वृत्, इंगानप. बीकानेर/हनुमानगढ/गंगानहर ओ.एफ.डी. वृत् सि.क्षे.वि. श्री गंगानगर।

4 अधिशायी अभियन्ता OFD Div-I Bikaner, Gang nahar OFD Div-III Suratgarh, Gang nahar OFD Div-II Sriganganagar, Gang nahar OFD Div-V Shri Karanpur, Gang nahar OFD Div-VI Suratgarh, Gang nahar OFD Div-VII Sriganganagar, SNIP Div-I Hanumangarh.

5 कौन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन सा.नि.वि. कैम्पस श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर।

6 सहायक अभियन्ता गंगानहर उपखण्ड 1,2,3,4 सीएडी रामसिंहपुर/ श्रीविजयनगर /रायसिंहनगर /डाबला हैड।

7 खण्डीय लेखाकार/व.प्रा./कैशियर खण्ड कार्यालय।

8 रक्षा पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(विष्णु विनोद अग्निहोत्री)

अधिशायी अभियन्ता,